स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/7/2015-ईएमएस दिनांक: 04 फरवरी, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली।

विषय **: ईवीएम के प्रयोग पर अनुदेश –शिकायत का निवारण-तत्संबंधी।**

महोदय,

आयोग के दिनांक 2 फरवरी, 2015 के समसंख्यक अनुदेश के अनुक्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि मतदान के समय किसी मतदाता के द्वारा ईवीएम के खराब होने की शिकायत की जाती है और शिकायत के स्वरूप का निदान करने के पश्चात पीठासीन अधिकारी का यह अभिमत हो जाता है कि शिकायत का सत्यापन करने के लिए 'परीक्षण मत' डाला जाना जरूरी है, तो पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को गलत शिकायत करने के परिणाम से सचेत करने के उपरांत, आरोप के संबंध में निर्वाचक से एक लिखित शिकायत प्राप्त करेंगे। इस प्रयोजन के लिए, पीठासीन अधिकारी को सादे कागज के पर्याप्त पत्रक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

2. यदि निर्वाचक ऊपर संदर्भित लिखित शिकायत देता है, तो पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक के संबंध में फार्म 17क में द्वितीय प्रविष्टि करेंगे तथा निर्वाचक को अपनी उपस्थिति में और अभ्यर्थियों या मतदान एजेन्टों, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, की उपस्थिति में वोटिंग मशीन में परीक्षण मत दर्ज करने की अनुमति देंगे और शिकायत का सत्यापन करेंगे।

3. यदि आरोप सत्य पाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी मामले की तत्काल रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को करेंगे, उस वोटिंग मशीन में और आगे मतों का दर्ज किया जाना रोक देंगे और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

4. हालांकि, यदि आरोप गलत पाया जाता है तथा यह पाया जाता है कि ईवीएम बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रही है; तो ऊपर उल्लिखित निर्वाचक द्वारा दर्ज किए गए परीक्षण मत के संबंध में, पीठासीन अधिकारी-

(i) उस अभ्यर्थी की क्रम संख्या तथा नाम जिसके लिए ऐसा परीक्षण मत दर्ज किया गया है, का उल्लेख करते हुए फार्म 17क में उस निर्वाचक से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि के सामने उस आशय की अभ्युक्ति लिखेंगे;

(ii) ऐसी अभ्युक्ति के सामने उस निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे; तथा

(iii) फार्म 17ग के भाग-I में मद सं 5 में ऐसे परीक्षण मत के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेंगे।

(iv) मतों की गणना करने के समय, ऐसे 'परीक्षण मतों,' यदि कोई हों, की संख्या को संबंधित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों), जिनके लिए ऐसे मत डाले गए हैं, के मतों की गिनती में से घटा दिए जाएंगे। ऐसे अलग किए हुए मत इसी प्रकार की अभ्युक्तियों के साथ फार्म 17ग के भाग-II तथा फार्म 20 में 'अस्वीकृत मतों' के रूप में दर्शाए जाएंगे।

भवदीय,

(के.एन.भार)
सचिव